न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 11/2014
प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व धारा 151 जा.दी.
निर्णय दिनांक 27.02.2020

रामसिंह वगैरा बनाम हरप्रसाद वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व धारा 151 जा.दी. निर्णय दिनांक 27.02.2020

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3व धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत दावा अंतर्गत 251 क धारा में इस आशय का पेश किया कि उक्त प्रकरण में वादी सं. 1 रामसिंह पुत्र हरिसिंह जाति माली निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई का देहान्त दिनांक 05.06.2018 को वानुकाम नदबई में हो चुका है। जिसके वारिसान 1 हुकमसिंह पत्नि रामसिंह, 2 कुमरसिंह पुत्र रामसिंह 3 दीनदयाल पुत्र रामसिंह 4 तेजसिंह पुत्र रामसिंह 5 लक्ष्मीदेवी पुत्री रामसिंह 6 पार्वतीदेवी पुत्री रामसिंह 7 चन्द्रकला पुत्री रामसिंह 8 रेवती पुत्री रामसिंह जाति माली निवासी कस्बा नदबई 9 नवल पुत्र भगवत, 10 बनैसिंह पुत्र भगवत 11 सोहनसिंह पुत्र भगवत 12 चन्दा पुत्री भगवत 13 कमलेश पुत्री भगवत 14 होमपाल पुत्र भगवत जाति माली निवासी बयाना जिला भरतपुर 15 लक्ष्मण प्रसाद पुत्र रामसिंह, 16 कृष्णकान्त पुत्र रामसिंह 17 मुकेश पुत्र रामसिंह 18 वीरेन्द्र कुमार पुत्र रामसिंह 19 दुर्गेश पुत्री रामसिंह 20 पूजा पुत्री रामसिंह जाति माली निवासी भरतपुर हैं। अतः वादी सं. 1 रामसिंह के आगे मृतक अंकित कर मृतक के कायम मुकामों रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करें।

वकील अप्रार्थी/प्रति ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधी बहस प्रार्थना पत्र किये जाने का निवेदन किया।

बहस प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी व धारा 151 जाब्ता दीवानी के सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने दौराने बहस कहा कि उक्त वाद पत्र में वादी सं. 1 रामसिंह पुत्र हरिसिंह का देहान्त दिनांक 05.08.18 को नदबई में हो चुकी है। जिसके कायम मुकाम वारिसानों को बनाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण को कानून की जानकारी से अनभिज्ञ व्यक्ति है, तथा कानून का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश नहीं किया जा सका प्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक 12.09.18 को तारीख पेशी पर आने पर रामसिहं के मरने की सूचना दी गयी तो प्रार्थी द्वारा बिना देरी से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसलिये प्रार्थी द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की बल्कि कानून की जानकारी के अभाव में न होने की वजह से डिले ऑफ कन्डोन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी सं. 1 रामसिंह के आगे मृतक शब्द अंकित कर मृतक के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करें।

वकील प्रतिवादी/अप्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि वादी सं. 1 की मृत्यु दिनांक 05.06.18 को वामुकाम नदबई में हो चुकी है। जिसकी जानकारी वादीगण के वकील एवं उसके वकील को पूर्ण रूप से जानकारी में थी, तथा वादीगण के वारिसानों द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.19 को पेश किया गया। जो लगभग 10 माह बाद पेश किया गया है, तथा मृतक के वारिसानों द्वारा वकील को सूचना भी दे दी गयी, तथा उक्त प्रकरण में भी प्रार्थीगण द्वारा जोइन्ट रिलीफ चाही गयी है उक्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही मुहल्ले के निवासी हैं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र म्यादबाहर (हाईलीटाईम) पेश किया गया है, तथा उक्त वाद में भी प्रतिवादी सं. 1 हरिप्रसाद की मृत्यु दिनांक 12.09.2019 को वामुकाम कस्बा नदबई में भी

उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

है। वादी को उक्त मृत्यु की पूर्ण सूचना है, जबकि आजतक वादी/प्रार्थी द्वारा म्याद के अन्दर भी प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा वाद अमेडमेन्ट हो ा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तथा सभी प्रतिवादीगणों के खिलाफ एवं सभी वादीगण एंव प्रतिवादीगणों के दावा अमेडमेन्ट में खारिज किये जाने योग्य है।

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस को सुना बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत मृतक रामसिंह पुत्र हरिसिंह का देहान्त दिनांक 05.06.18 को वामुकाम कस्बा नदबई में हो चुका है। तथा प्रतिवादी सं. 1 हरिप्रसाद की भी मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण द्वारा मृतक रामसिंह के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनाक 01.04.19 को पेश किया गया है जो कि लगभग 10 माह बाद पेश किया गया है। वादी को पूर्ण रूप से जानकारी थी परंतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्दरम्याद पेश नहीं किया गया तथा उक्त वाद में भी प्रतिवादी सं. 1 हरिप्रसाद की मृत्यु दिनांक 12.09.19 को वामुकाम नदबई में भी हो चुकी थी जिसकी जानकारी वादी को उक्त मृत्यु की पूर्ण सूचना थी। वादी व प्रतिवादी गण एक ही मुहल्ले के निवासी है, जबकि प्रार्थी/वादीगण द्वारा म्याद के अन्दर कोई प्रार्थना पत्र ऑर्डर 22 नियम 4 पेश नहीं किया गया। लिहाजा वाद गुजरने म्याद अवेडमेन्ट हो चुका है। इस प्रकार वादी द्वारा उक्त वाद में प्रार्थना पत्र देरी से पेश किया वादी द्वारा जानबूझकर प्रकरण में देरी की गयी। अतः वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत खारिज योग्य है। अतः दावा वादी दावा एवेटमेन्ट में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर

उप खण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर राज.)

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner